न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/05/2021

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक अर्पित अग्रवाल तहसील वैर जिला भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री सुखनंदन उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत ललिता मुडिया तहसील वैर,

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जप्त शुदा खाद्यान्न का अन्तरिम निस्तारण करने बाबत्

उपस्थित :–

1–पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,
2–श्री विमलसिंह अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.7.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के विरुद्व इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2021 को अप्रार्थी की दुकान पर पहुंच कर जांच की गई। मौके पर पोस मशीन में अतिरिक्त गेंहू 2053 कि.ग्रा. एपीएल श्रेणी का 1464 कि.ग्रा., बीपीएल श्रेणी का 787 कि.ग्रा. इस प्रकार कुल 4304 कि.ग्रा. गेंहू अंकित था, जब कि दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 114 कट्टे (57 क्वि0) मिला जब कि वांछित स्टॉक 43.04 क्वि था। इस प्रकार मैाके पर 13.95 क्वि. गेंहू अधिक पाया गया जिसके विषय में राशन डीलर श्री सुखनंदन द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है। अक्टूबर माह के पेटे काटे गये चालान की समस्त मात्रायें पोस मशीन में अपडेट हो चुकी है तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नवम्बर माह का कोई गेंहू प्राप्त नहीं होना बताया। इस प्रकार डीलर की उक्त अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उलंघन पाये जाने पर अधिक पायी गयी मात्रा को जप्त सरकार कर मौका परिस्थिति व सुरक्षा की दृष्टि से ग्रांम पंचायत ललिता मुढिया के दूसरे डीलर को सुपुर्दगी में दिया गया। अन्त में निवेदन किया है कि जप्त शुदा 13.95 क्वि. गेंहू को राजसात कर उसका अन्तरिम निस्तारण कराने के आदेश पारित करें।

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र 6ए/05/2021
ई0आई0रसद बनाम सुखनन्दन

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को धारा 6बी ई.सी.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया है। उभय पक्ष को सुना गया।

प्रार्थी पैरोकार रसद ने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 10.10.2021 को अप्रार्थी डीलर की दुकान की जांच की गई, मौक पर वितरण कार्य बन्द था, दुकान खुलवाई गई। मौके पर डीलर की पोस मशीन की गई, जांच में 2053 कि.ग्रा. गेंहू, 1464 कि.ग्रा.एपीएल श्रेणी का, 787 कि.ग्रा. बीपीएल श्रेणी का . इस प्रकार कुल 4304 कि.ग्रा. गेंहू अंकित था। जब कि दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 114 कट्टे (57 क्वि0) गेंहू मिला, मुताबिक पोस मशीन वांछित स्टॉक 43.04 क्वि, रहना चाहिये था। इस प्रकार मौके पर 13.95 क्वि. गेंहू अधिक पाया गया। 13.95 क्वि. क्विंटल अधिक गेंहू होने के बारे में राशन डीलर श्री सुखनंदन पूंछा गया उनके द्वारा कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा निशानी सत्यापन कर उन्हें गेंहू का वितरण नहीं बदनियती कालाबाजारी की नियत से गेंहू बचाया है। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उलंघन है। पैरोकार रसद ने अधिक मिले गेंहू को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक का कहना है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब ही उसकी बहस शुमार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार रसद के कथनों पर गौंर किया। अप्रार्थी के जबाब का अध्ययन किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर अधिक मिले 13. 95 क्वि. गेंहू के बारे में अपने जबाब में अंकित मौखिक कथनों के समर्थन में अप्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में अधिक पाया गेंहू अप्रार्थी डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जाकर बदनियती कालाबाजारी करने की नियत बचाया गया है। अप्रार्थी डीलर का यह कृत्य अनियमितता राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उलंघन है। जप्त किये गये अधिक गेंहू 13.95 गेंहू को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा स्वीकार किया जाता है। जप्त किये गये अधिक गेंहू 13.95 गेंहू को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद

..........3

जिला कलक्टर
[illegible]

प्रा0पत्र 6ए / 06 / 2021
ई0आई0रसद बनाम सुखनन्दन

अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गेहूं को नियमानुसार उपभोक्ताओं को कीमतन वितरण कराया जाकर वितरण से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर